छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आम सूचना

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि जब कभी भी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय या राज्य के जिला न्यायालयों के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार

(अरविंद कुमार वर्मा) रजिस्ट्रार जनरल

06.10.2023

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

GENERAL NOTICE

Whenever any advertisement is issued in respect of filling up of vacancies either by the High Court or by the District Courts of the State, any person found involved in enticing candidates with assurance of providing appointment against the advertisement for extraneous consideration shall be held liable for criminal prosecution and similarly, the person who accepts such allurement/assurance shall also be held liable for criminal prosecution.

By Order

(Arvind Kumar Verma) Registrar General

06.10.2023